

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 2021

सा. का. नि....(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 67/2021-सीमा शुल्क ((गै.टै.), दिनांक 13 अगस्त, 2021 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 3296 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, में, यथा:-

(i) पेज नंबर 2 पर, सारणी-2 के , क्रम संख्या 2 और 3 के कॉलम 4 में

के लिये

“759 प्रति किलोग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)”

पढ़ा जाए

“759 प्रति किलोग्राम ”

[फा. सं. 467/01/2021-सीमा शुल्क -V]

(बुलो मामु)  
अवर सचिव, भारत सरकार